कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14( ) एफ.सी.ए./उवसं/2021/ 11128-31 दिनांकः-20/11/2021

निमित्त,
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :– Mahi Banswara Atomic power project (MBRAPP)- 1 to 4 की स्थापना हेतु 100.05 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन बाबत् (FP/RJ/Others/22621/2016)

सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक 5006 दिनांक 24.08.2021 व कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हॉफ, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक F.14()2018/ROAD/FCA/PCCF/EDS-2 dated 13-08-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) मुबई, महाराष्ट्र द्वारा जिला बांसवाड़ा के अंतर्गत पंचायत समिति छोटी सरवन के अन्तर्गत Mahi Banswara Atomic power project (MBRAPP)- 1 to 4 की स्थापना हेतु 100.05 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Others/22621/2016 प्रस्तुत किया गया है।

जिसके क्रम में वांछित प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6128–32 दिनांक 15.07.2021 के द्वारा 4 प्रतियों में श्रीमान् को प्रेषित किये जा चुके है। उक्त प्रकरण में सन्दर्भित पत्र से प्राप्त EDS Dated 13-08-2021 से वांछित आक्षेपों की बिन्दुवार सूचना/पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है –

1- Details of Working Plan prescription given by DCF in Part-II is incorrect.
प्रत्युत्तर– प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि वन खण्ड धनखैया कोटड़ा एवं सरवन डेरी पार्ट–बी में आ रही है जिसके लिये नवीनतम वर्किंग प्लान (अवधि 2020–21 से 2029–30) में वर्णित अनुसार Working Plan Prescription निम्नानुसार है जिसको ऑनलाईन प्रस्ताव में भी अपडेट कर दिया गया है :–
Restoration(Afforestation) Management principle working circle के अन्तर्गत यह क्षेत्र अति परिभ्रांषित वन क्षेत्र की श्रेणि में आता है जिसको सघन वृक्षारोपण, मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों एवं सिल्वीकल्चरल कार्यों के द्वारा उपचारित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

2- Approximate distance given from forest is 0.5 ha.then why diversion is proposed and recommended ? DCF has given the details in part-II of the proposal.Pls.clearify it.
प्रत्युत्तर– प्रस्ताव के भाग–।। के क्रम संख्या–7 पर वांछित सूचना Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) में **प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित कि गयी वन भूमि** संबधित वनखण्ड कि वनसीमा से कितनी दुर होने से संबधित सूचना अंकित कि जानी है, जिसके क्रम में निवेदन है कि उक्त प्रकरण में कुल 2 वनखण्डों में 4 पेच में वन भूमि का प्रत्यावर्तन करवाया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रत्येक पेच में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित कि गयी वन भूमि कि वन सीमा से दुरी 100 से 500 मीटर तक पृथक–पृथक है, किन्तु पोर्टल पर पेचवाईज दुरी अंकित करने का इन्टरफेस उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रत्यावर्तन हेतु विभिन्न स्थानों पर प्रस्तावित की गयी वन भूमि कि वन सीमा से औसत दुरी 0.500 कि.मी. दर्शायी गयी है, जो कि सही हैं।

क्रमशः 2 पर

3- CA scheme should be given for 1000 plants per ha.as per FCA guidelines.
प्रत्युत्तर– निर्देशानुसार प्रति हैक्टेयर 1000 पौधों के हिसाब से वृक्षारोपण करवाने के लिये पुर्व में रेन्ज घाटोल में चिन्हित की गई 200.10 हैक्टेयर परिभ्रांषित वन भूमि के अलावा रेन्ज बांसवाड़ा में 86 हैक्टेयर अतिरिक्त परिभ्रांषित वन भूमि चिन्हित कर ली गई है। अतः उक्तानुसार चिन्हित की गई 200.10 हैक्टेयर एवं 86 हैक्टेयर परिभ्रांषित वन भूमि कि पृथक–पृथक CA scheme वर्तमान श्रमिक दरों के अनुरूप तैयार कर संलग्न प्रस्तुत है।

4- CCF has to attach and upload the site inspection report.
प्रत्युत्तर– उक्त प्रकरण में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का निरीक्षण श्रीमान् द्वारा दिनांक 08.06.2021 को कर लिया गया है। अतः वांछित निरीक्षण रिपार्ट श्रीमान् के स्तर से अपलोड की जानी अपेक्षित है।

5- NFL is not required in the proposal. So remove all the documents and letters for NFL in the proposal.
प्रत्युत्तर– उक्त निर्देश की पालना में युजर एजेन्सी द्वारा गैर वन भूमि के संबध में पूर्व में अपलोड किये गये समस्त अवांछित दस्तावेजों को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्ताव से हटा लिया गया है।

6- User agency has not uploaded and attached undertaking regarding CA, NPV, Other Conditions, additional NPV, No other use of Diverted land etc are not given by user agency.
प्रत्युत्तर–निर्देशानुसार उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में वांछित समस्त अण्डरटेकिंग ऑनलाईन प्रस्तुत कर दी गयी है, जिसकी हार्डकॉपी 4 प्रतियों में बाद प्रति–हस्ताक्षर संलग्न प्रस्तुत है।

7- Employment generation report is not given-
प्रत्युत्तर– उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण मे परमाणु उर्जा संयत्र के निर्माण कार्य में सृजित होने वाले रोजगार सृजन के संबध में विस्तृत रिपोर्ट इस प्रस्ताव में यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्न किये गये पर्यावरण आंकलन के अध्याय 4 एवं 7 में दी गयी है। जिसकी प्रति अवलोकनार्थ पृथक से भी संलग्न प्रस्तुत है।

8- DCF has not given the number of trees to be cut and trees to be pruned in the tree enumeration report.
प्रत्युत्तर– उक्त परियोजना के निमार्ण हेतु कुल 100.05 हैक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन कराया जाना प्रस्तावित किया गया है, जो कि प्रोजेक्ट के लिए न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गयी कुल वन भूमि का अधिकतम 5 से 10 प्रतिशत भाग ही वाटर कॉरिडोर एवं संयत्र निर्माण हेतु उपयोग में लिया जावेगा, शेष भूमि नाभिकीय उर्जा संयत्र हेतु स्थापित किये गये राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय स्तर के मापदण्डों के अनुसार Buffer Area के रूप में वांछित है, जिसमें कोई भी निमार्ण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि में मौजूद 9725 वृक्षों में से निमार्ण कार्य के समय आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम वृक्षों को ही कटवाया जावेगा। किसी भी वृक्ष की केवल छंगाई (Pruning) करवाया जाना प्रस्तावित नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वन भूमि में मौजूद वृक्षों के अलावा रिक्त पड़े स्थानों पर भी एन.पी.सी.आई.एल. के व्यय पर यथोचित वृक्षारोपण करवाया जावेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमशः 2 पर

क्रमांक प. 14( ) एफ.सी.ए./उवसं/2021/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,राजस्थान, जयपुर।
2. प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, बॉसवाडा को भेजकर लेख है कि बगैर सक्षम स्वीकृति एवं बगैर इस कार्यालय की अनुमति के वन भूमि में किसी भी प्रकार की गैर वानिकी गतिविधियां प्रारंभ नहीं करवाया जाना आपके स्तर से सुनिश्ति करावें।
3. मुख्य अभियंता, माही बॉसवाडा, राजस्थान, एटोमिक पावर प्रोजेक्ट, NPCIL, बांसवाडा।

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा